कुलसचिव कार्यालय

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
Website: uuhf.ac.in

पत्र सं0: UUHF/Reg./166 /2026-27/E- 47403 दिनांक: 01 अगस्त, 2026।

–कार्यालय आदेश–

विश्वविद्यालय के पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या: UUHF/Reg/542–554/2026–27 दिनांक 06.06.2026 के अनुक्रम में सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या 7/367134/VIII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी दिनांक 03 फरवरी 2026, संख्या I/373024/XVII–C–1/2026/12(18)रिट/2018 दिनांक 20.02.2026, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या 384696/XXX(2)/2026–E–99120 दिनांक 02.04.2026, संख्या 394978/XXX(2)/2026–E–99120 दिनांक 12.05.2026, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02 के आदेश संख्या I/399863/XXX(2)/2026–E–99120 दिनांक 29.05.2026, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या I/409688/XVII–C–1/12(18)/2018 रिट ई–94784/2026 दिनांक 01.07.2026 एवं संख्या 416803/XVII–C–1 ई–99423/2026 दिनांक 28.07.2026 में निहित प्राविधानों व शर्तों के अधीन प्रथम चरण के अंतर्गत विश्वविद्यालय के संदर्भित आदेशों दिनांक 06.06.2026 द्वारा प्रसारित सूची में अंकित ऐसे उपनल कार्मिक, जो शासन के आदेश दिनांक 03.02.2026 में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार 'समान कार्य हेतु समान वेतन' प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं तथा जिनके द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त आदेशों दिनांक 06.06.2026 के क्रम में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है अथवा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है; को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध निष्पादित कराने के अधीन 'समान कार्य–समान वेतन' का लाभ अनुमन्य किए जाने की माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित उपनल कार्मिकों द्वारा दिनांक 10.08.2026 तक निर्धारित प्रारूप पर पूर्णतः निष्पादित अनुबंध पत्र अपने नियन्त्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्क्रम में नियन्त्रक अधिकारी (सम्बन्धित अधिष्ठातागण/ निदेशकगण/ प्रभारी) अनुबंध प्रस्तुत करने वाले समस्त उपनल कार्मिकों की समेकित सूची के साथ अनुबंध पत्र की मूल प्रति एवं वेतन निर्धारण प्रस्ताव विश्वविद्यालय को दिनांक 14.08.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

एतदर्थ, विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे उपनल कार्मिक जिनके द्वारा अपने प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रेषित किए गए हैं, के न्यायसंगत निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसकी आख्या/संस्तुतियों के आधार पर द्वितीय चरण में सम्बन्धित कार्मिकों के प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नकः– यथोक्त।

Digitally signed by
SARSWATI PRAKASH
Date: 01-08-2026
18:57:39

(एस0पी0 सती)
कुलसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्मिक अधिकारी, वी.च.सि.ग.उ.औ.वा.वि.वि. भरसार (पौड़ी गढ़वाल)।
2. समस्त अधिष्ठातागण/निदेशकगण/प्रभारी, वी.च.सि.ग.उ.औ.वा.वि.वि. भरसार (पौड़ी गढ़वाल)।
3. वित्त नियंत्रक, वी.च.सि.ग.उ.औ.वा.वि.वि. भरसार (पौड़ी गढ़वाल)।
4. प्रभारी, ई–गवर्नेस/आई.टी. सेल, वी.च.सि.ग.उ.औ.वा.वि.वि. भरसार (पौड़ी गढ़वाल) को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश एवं अनुबंध पत्र की प्रति को विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त सम्बन्धित उपनल कार्मिकों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थानों के सूचना पट्ट के माध्यम से अनुपालनार्थ एवं अनुबंध निष्पादित करने हेतु।
6. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
DHEERAJ KUMAR UPADHAYAY
Date: 01-08-2026 19:17:25

(धीरज कुमार उपाध्याय)
सहायक कुलसचिव

अनुबन्ध

यह अनुबंध आज दिनांक को श्री/श्रीमती/कुमारी (कार्मिक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री पिता का नाम, (जिसे इसके बाद प्रथम पक्ष/कार्मिक कहा जाएगा) और (विभाग का नाम) (जिसे इसके बाद द्वितीय पक्ष/नियोक्ता कहा जाएगा) के बीच संपन्न हुआ।

जबकि सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को नियुक्त किया गया है और प्रथम पक्ष इसमें एतद्पश्चात् अन्तर्विष्ट शर्तों और निबन्धनों पर विभाग में सेवा हेतु सहमत हो गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और दोनों पक्ष पृथक–पृथक निम्नानुसार सहमत हो गये हैं कि:–

1. यह अनुबन्ध संविदा पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तो पर किया जा रहा है:–

(1) **नियुक्ति का स्वरूप**– यह नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी।

(2) **वेतन/मानदेय**–सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–I/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 TC, दिनांक: 03.02.2026 के प्रस्तर–03 के संगत प्राविधानों के क्रम में युक्तियुक्त रूप से निर्धारित किया जायेगा।

I. प्रथम पक्ष को उक्तांकित शासनादेश दिनांक: 03.02.2026 में निहित प्रावधानानुसार कुल रू0 .. ..+ अनुमन्य महंगाई भत्ता, मानदेय के रूप में देय होगा', (यदि किसी कार्मिक की ग्रेच्युटी आदि की देयता बनती है,तो वह कुल मानदेय में सम्मिलित मानी जायेगी) ।

II. इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

(3) **कार्यालय में अनुशासन**– प्रथम पक्ष का कार्य, व्यवहार और आचरण राजकीय कार्यालय की गरिमा के अनुरूप होगा और वह अनुशासन संबन्धित सभी नियमों का पालन करेगा। संबंधित कार्मिक, विभाग से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी या दस्तावेजों को बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा। कार्मिक को विभाग के सभी नियमों, कार्य समय और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) कार्मिक को एक कलेण्डर वर्ष में केवल 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिन का उपार्जित अवकाश सवेतन देय होंगे। उपार्जित अवकाश अगले कैलेण्डर वर्ष हेतु अग्रसारित नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–156931/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक: 25.09.2023 के द्वारा अनुमन्य अन्य अवकाश एवं सुविधाऐं अनुमन्य होंगी।

2. यह कि:–

(1) **प्रथम पक्ष, सरकार तथा अधिकारियों और प्राधिकारियों के, जिनके अधीन उसे समय–समय पर रखा जायेगा, आदेशों का पालन करेगा और इसमें यहाँ अन्तर्विष्ट प्राविधानों के अधीन रहते हुए सेवा में रहेगा, जब तक कि दोषसिद्ध होने पर उसे हटा न दिया जाय। उक्तानुसार सेवायोजित कार्मिक के साथ अनुबन्ध को प्रतिवर्ष विस्तारित किया जायेगा, किन्ही भी परिस्थितियों यह विस्तार 60 वर्ष की आयु के प्राप्त कर लेने के उपरांत नहीं होगा।**

(2) प्रथम पक्ष, अपना सम्पूर्ण समय अपने कार्यों के लिए देगा और सदैव भारत के किसी भी भाग में लोक सेवा की शाखा को विनियमित करने के लिए सरकारी सेवक की आचरण नियमावली सहित समय–समय पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समनुदेशित किये जायें।

3. प्रथम पक्ष की सेवा निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त की जा सकेगी:–

(1) सरकार द्वारा उसे एक कैलेण्डर महीने की लिखित सूचना देकर किसी समय, यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया।

(2) यदि चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है और अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक उसके अयोग्य रहने की सम्भावना है।

(3) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा, यदि प्रथम पक्ष इस विलेख के किसी प्राविधान अथवा लोक सेवा की जिस शाखा का वह सदस्य है, उसके किसी नियम की अवज्ञा या असंयम का दोषी है, सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि प्रथम पक्ष कार्ययोजित होने के दौरान किसी समय कदाचार अथवा किसी आपराधिक कृत्य का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक उपबन्धों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा दोषसिद्ध होने पर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

5. इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम पक्ष, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाये, पूर्णतः अथवा अंशतः लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि इस विलेख के दिनांक के पश्चात् सरकार द्वारा लोक सेवा की शाखा की सेवा के सदस्यों की, जिसका कि वह तत्समय सदस्य है, सेवा शर्तों और निबन्धनों में प्राधिकृत किया जाये तथा प्रथम पक्ष की सेवा शर्तों और निबन्धों में ऐसे सुधार के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय इस विलेख के उपबन्धों की सीमा तक संशोधित करने के लिए प्रवृत्त होगा।

6. किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली तथा उसके अधीन बनाये गये अन्य नियम अथवा 'भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये या अनुच्छेद 313 में अन्तर्विष्ट माने गये नियम, उस सीमा तक लागू होंगे जो यहाँ उपबन्धित सेवा पर लागू हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. यह अनुबन्ध किसी प्रकार से अन्य नियमित, अंशकालिक, कार्यप्रभारित, दैनिक, नियत मानदेय पर नियोजित कार्मिक, किसी भी नियमावली या उस नियमावली में उल्लिखित भत्ते या लाभ के संबंध में समानता प्रदान नहीं करता है।

जिसके साक्ष्य में प्रथम पक्ष.....तथा .....विभाग में विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

..... की उपस्थिति में प्रथम भाग के पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

.....की उपस्थिति में विभाग की ओर से ..... द्वारा हस्ताक्षर किये
गये।

प्रथम पक्ष (हस्ताक्षर) **द्वितीय पक्ष (हस्ताक्षर)**

साक्षियों के हस्ताक्षर :-

1. - - - - - -

2. - - - - - -

ज्ञाप

इसके अन्तर्गत उल्लिखित श्री..... को नियुक्त किया गया है और अनुबन्ध की शर्तों में आवश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए उनकी सेवा.....वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है तथा अब से उनका वेतन/मानदेय..... रुपये मासिक होगा।